

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

आदेश

प्रार्थी/प्रार्थीगण के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सामरिया व की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खांदलेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 14 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र	ग्राम/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	<u>खांदलेडी</u> <u>प० ट० सामरिया</u> <u>तहसील</u> <u>सुनेल</u>	14	<u>कान्तीबाई</u> <u>पालि</u> <u>प्रवीण कुमार</u>	<u>कान्तीबाई</u> <u>पालि</u> <u>रूपलाल</u>



प्रशासन गांव के संग अक्रियात 2021

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
प्रशासन गांव के संग 2021

क्रमांक: प्रशासन गांव के संग शिविर/2021/753
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं -

दिनांक : 18/11/2021

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी कान्तीबाई w/o रूपलाल धाकड़ नि० खांदलेडी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
प्रशासन गांव के संग 2021

